दिनांक 30/03/2019

प्रेस विज्ञप्ति

एनडीपीएस मामलों एवं जघन्य अपराधों की विवेचना संबंधी कार्यशाला सम्पन्न

छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी द्वारा दिनांक 28.03.2019 एवं 29.03.2019 को एनडीपीएस मामलों एवं जघन्य अपराधों की विवेचना विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला का उद्घाटन एडीजी ट्रेनिंग श्री अशोक जुनेजा द्वारा किया गया। कार्यशाला में राज्य के विभिन्न जिलों से आये प्रशिक्षणार्थियों को एडीजी श्री जुनेजा द्वारा एनडीपीएस एक्ट की मुख्य विशेषतायें, नये कानून की आवश्यकता, एक्ट में हुये संशोधन, निषेध नियंत्रण और विनियम, विशेष न्यायालय और जमानत का प्रावधान, खोजबीन जब्ती और गिरफ्तारी, गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों और लेखों का निपटारा, दस्तावेजों की जांच और तैयारी के दौरान अधिकारियों द्वारा की गई सामान्य त्रुटियों पर अपना व्याख्यान दिया गया।

उक्त कार्यशाला में एनडीपीएस एक्ट के अलावा जघन्य अपराधों की जांच प्रक्रिया एवं सिद्धांत, एफआईआर और अपराध स्थल प्रबंधन का प्रारूपण, वैज्ञानिक जांच की तकनीक, जांच और आरोप पत्र की तैयारी में सामान्य दोष, अंधे जघन्य अपराधों से निपटने में चुनौतियां आदि विभिन्न ज्वलंत विषयों पर श्री अजय यादव डीआईजी, श्रीमती नेहा चंपावत डीआईजी/उप निदेशक अकादमी, डॉ. संजीव शुक्ला डीआईजी, श्री एस.सी. द्विवेदी डीआईजी, श्री चन्द्र मोहन सिंह आईपीएस, श्री संजय तिवारी एडीपीओ, श्री के.बी. द्विवेदी डीएसपी, श्री सुभाष पवार उप निरीक्षक द्वारा अपने सुदीर्घ अनुभव एवं संचित ज्ञान से प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया।

कार्यशाला का समापन छ.ग. पुलिस के डीजीपी श्री डी.एम. अवस्थी ने किया तथा प्रशिक्षणार्थीयों से एफआईआर में सावधानी बरतने, पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य, वैज्ञानिक तकनीक से कार्य कुशलता प्राप्त करने, केस स्टडी के माध्यम से सशक्त और प्रभावी विवेचना करने तथा स्किल डेव्हलपमेंट के संबंध में अपने अनुभव साझा किये।

इस कार्यशाला को सफल बनाने में अकादमी के पुलिस अधीक्षक श्रीमती डॉ. संगीता पीटर्स, उप पुलिस अधीक्षक श्री रमाशंकर द्विवेदी, श्रीमती रूपा खेस, श्री सुभाष दास, श्री पीताम्बर गिलहरे, सीडीआई श्री हरीश तिवारी, क्वार्टर मास्टर श्री राजकुमार कुर्रे, स्टेनो जीत देवांगन तथा समस्त अकादमी स्टॉफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।